उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-8/2018/वे0आ0-2-371/दस-69(सामान्य)/2010टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2018

<u>परिपत्र</u>

***1-* समस्त अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
***<u>2-</u>* <u>समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।</u>**

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के परिपत्र संख्या-07/2018/वे0आ0-2-345/दस-69(सामान्य)/ 2010टी0सी0, दिनांक 25 मई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ में रिक्त विशेष कार्याधिकारी (विधि) वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल-11 के पद को भरे जाने के लिये अपने विभाग से संबंधित अपेक्षित अर्हता रखने वाले कार्मिक जो उक्त प्रकोष्ठ में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हो, के अभ्यावेदनों को अपनी अनापत्ति सहित अधोहस्ताक्षरी को विलम्बतम 15 दिन (दिनांक 10 जून, 2018 तक) उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

2- उपर्युक्त परिपत्र के सन्दर्भ में मात्र 01 प्रार्थना पत्र ही प्राप्त हुआ है। अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित ऐसे कार्मिक जो उक्त प्रकोष्ठ में निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित पद पर स्तम्भ-2 के अनुसार अर्हता रखते हों तथा प्रकोष्ठ में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक हों, के अभ्यावेदन अपनी अनापत्ति सहित अधोहस्ताक्षरी को विलम्बतम **दिनांक 28 जून, 2018** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें :--

पद की संख्या/पदनाम/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन सादृश्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	**तैनाती हेतु निर्धारित अर्हता**
(1)	**(2)**
एक पद/विशेष कार्याधिकारी (विधि)/वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रू0 67700-208700)	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 अथवा ग्रेड वेतन रू0 6600/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 के पद पर कार्यरत अथवा वैयक्तिक रूप से उक्त ग्रेड वेतन प्राप्त कार्मिक जो विधि स्नातक सहित सम्बन्धित कार्यो का अनुभव रखते हों में से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति द्वारा।

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in